संख्या–1015/26–3–2020 (1514/2016)

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2020

विषय : समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

ग्रामीण तथा मध्यमवर्गीय एवं कम आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से सम्बंधित समुचित जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0/अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी नहीं कर पाते हैं। आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 आदि से सम्बंधित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर तथा समय–समय पर अद्यतन परिवर्तित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी हेतु कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है ताकि अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें।

(II) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं जिनकी पारिवारिक आय रू0 6.00 लाख से अधिक न हो को प्रशासनिक सेवाओं/अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु प्रदेश में 07 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा *शासनादेश सं0–2083/26–3–93–4(25)/88 दिनांक 16.06.1993, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ के केन्द्रों हेतु शासनादेश सं0–89/26–3–2005 दिनांक 12.07.2007, निजामपुर हापुड़ केन्द्रों हेतु शासनादेश सं0–4209/26–3–2010–14 (30)/2007 दिनांक 6 जनवरी 2011* तथा प्रयागराज व आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ के संचालन के लिए अलग–अलग शासनादेश निर्गत किए गए, किन्तु उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत *समान शैक्षणिक कैलेंडर एवं योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते परिप्रेक्ष्य एवं नवीन पाठ्यक्रम के सापेक्ष पुरातन शिक्षण पद्धति, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में योग्य एवं समुचित कार्मिकों की कमी* इत्यादि के कारण इन केन्द्रों का प्रदर्शन अपेक्षानुसार नहीं रहा है।

(III) अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत उक्त सन्दर्भित शासनादेशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश/मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किये जा रहे है।

1— समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की संरचना निम्नवत् रहेगी :—

कमसं0	कोचिंग केन्द्र	क्षमता (अधिकतम)
01	छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ।	300 पुरूष
02	आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।	200 महिला
03	राजकीय आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, हापुड़,	200 (120 पुरूष एवं 80 महिला)
04	संत रविदास आई0ए0एस0 /पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, वाराणसी	100 पुरूष
05	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	200 पुरूष
06	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़	200 पुरूष
07	न्यायिक सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज	50 पुरूष

2. केन्द्र प्रभारी –

निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ के पदेन केन्द्र प्रभारी होंगे। संयुक्त निदेशक, राजकीय कोचिंग सेंटर, हापुड़ के पदेन केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। निदेशक समाज कल्याण द्वारा नामित उपनिदेशक स्तर की महिला अधिकारी आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज की केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज एवं वाराणसी कोचिंग केन्द्रों में मण्डलीय उप निदेशक कोचिंग केन्द्रों के पदेन केन्द्र प्रभारी होंगे।

3. कोचिंग संचालन समिति–

निदेशक, भागीदारी भवन की अध्यक्षता में समस्त केन्द्रों के संचालन में एकरूपता लाने हेतु एक कोचिंग संचालन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें समस्त कोचिंग केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी, संयुक्त निदेशक भागीदारी भवन, योजना अधिकारी (कोचिंग) निदेशालय, समाज कल्याण, सदस्य के रूप में होंगे। समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित होगी, जिनमें अकादमिक कैलेन्डर/कार्य योजना, कोचिंग की त्रैमासिक प्रगति, परीक्षा प्रणाली में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप रणनीति तैयार करते हुए कोंचिग केन्द्रों में अभिनव प्रयोग, उन्नत भोजन व्यवस्था आदि के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। कोचिंग संचालन समिति

अपने सुझावों को संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं संचालक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त समस्त केन्द्रों में नीति लागू की जायेगी।

4. <u>सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम (Fundamental course)–</u>

संघ लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा/उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ एवं अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु 05 माह का आधारभूत एवं 05 माह का विशिष्ट पाठ्यक्रम सह कुल 10 माह का सत्र संचालित किया जायेगा।

सिविल सेवा की तैयारी हेतु संचालित आधारभूत पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से बैच क्षमता के 20 प्रतिशत (अधिकतम्) सर्वोत्कृष्ट छात्रों को प्रस्तर 4.1 के अनुसार विशिष्ट पाठ्यक्रम में तैयारी का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस हेतु छात्रों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के प्रशिक्षण सत्र में आयोजित किये गये मासिक/साप्ताहिक टेस्ट एवं सत्र के आखिर में आयोजित की गयी अंतिम परीक्षा में किये गये प्रदर्शन को आधार बनाया जायेगा। छात्रों के मूल्यांकन हेतु मासिक/साप्ताहिक टेस्ट एवं सत्रान्त आयोजित की गयी परीक्षा दोनों को समान (50% : 50%) महत्व दिया जायेगा। शेष अनुत्तीर्ण छात्रों हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सत्र पूर्ण समझा जाएगा व उन्हें विशिष्ठ पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

<u>4.1 सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु विशिष्ठ पाठ्यक्रम (Special course)–</u>

प्रस्तर–4 के अनुसार आधारभूत पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों **तथा** ऐसे पात्र छात्र जो संघ लोक सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गत 02 वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य अथवा साक्षात्कार स्तर तक पहुंचे हो तथा जिनके द्वारा वर्तमान वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु आवेदन किया गया हो, के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम वर्ष के जनवरी माह से परीक्षा आयोजित होने तक की तिथि अथवा 30 जून (जो भी पहले हो) तक आयोजित किया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम विशेषतः सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी छात्रों की सफलता प्रतिशत संवर्धन हेतु आयोजित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत उन्नत प्रश्न श्रृंखला, विशिष्ट अध्यापकों द्वारा कैप्सूल पाठ्यक्रम, लेखन अभ्यास इत्यादि पर बल दिया जाएगा। विशिष्ट पाठ्यक्रम में आवश्यकता एवं उपलब्ध बजट के अनुसार कोचिंग संचालन समिति प्रतिष्ठित निजी कोचिंग केन्द्रों को भी नियमानुसार इम्पैनलमेंट करते हुए उनकी सेवायें लिए जाने हेतु सक्षम होंगी। *<u>विशिष्ठ पाठ्यक्रम को परिणाम उन्मुख (RESULT ORIENTED) रखने के दृष्टिगत पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की संख्या सबंधित कोचिंग केन्द्र की अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।</u>*

विशिष्ठ पाठ्यक्रम हेतु कोचिंग केन्द्रो की अधिकतम क्षमता निम्नवत् रहेगी :–

क्रम सं0	कोचिंग केन्द्र	क्षमता
01	छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ।	150 पुरूष
02	आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।	100 महिला
03	राजकीय आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, हापुड़,	100 (60 पुरूष एवं 40 महिला)
04	संत रविदास आई0ए0एस0 /पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, वाराणसी	50 पुरूष
05	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	100 पुरूष
06	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़	100 पुरूष
07	न्यायिक सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज	25 पुरूष

4.2 सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की तैयारी–

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (Civil Services Mains)/उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ एवं सम्मिलित मुख्य परीक्षा (UPPCS-Mains) हेतु बैच की तैयारी के लिये छात्रों हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, लखनऊ, राजकीय आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, हापुड़ तथा छात्राओं हेतु आदर्श परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में संचालित किया जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राऐं मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु आवेदन करते हुए सम्बन्धित कोचिंग केन्द्र में प्रवेश ले सकेंगे। समान्यतः मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु बैच सम्बन्धित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद से मुख्य परीक्षा आयोजित होने तक संचालित किया जाएगा। वैकल्पिक विषयों हेतु योग्य अध्यापकों के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण देने का प्रयास सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया जाएगा तथापि सम्बन्धित विषयों में योग्य अध्यापकों का अभाव अथवा कम अभ्यर्थी होने की दशा में नियमित कक्षाओं के स्थान पर स्वअध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करते हुये मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, लेखन अभ्यास एवं सामान्य अध्ययन हेतु मार्गदर्शन कक्षाएं आयोजित करायी जायेंगी।

4.3 मुख्य परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज–

सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम में टेस्ट सीरीज के लिये व्यवस्था प्रस्तर 4.1 में उल्लिखित है। मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र अपने स्तर से व्यक्तिनिष्ट परीक्षा का आयोजन करने हेतु सक्षम रहेंगे एवं इस हेतु अतिथि प्रवक्ताओं की सहायता से अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराया जा सकेगा। उक्त हेतु दर का निर्धारण संचालक मण्डल की सहमति से किया जाएगा।

4.4 सिविल सेवा (साक्षात्कार) की तैयारी–

सिविल सेवा परीक्षा/उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सिविल सेवा परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षाओं हेतु साक्षात्कार/मॉक इंटरव्यू की तैयारी हेतु विशेष बैच मुख्य परीक्षा के परिणामों के तुरन्त बाद छात्रों हेतु सामान्यतः छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन तथा छात्राओं हेतु आदर्श परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ संचालित किये जाएंगे। तथापि सफल अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में शासन की अनुमति से साक्षात्कार की तैयारी हेतु बैच राजकीय आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, हापुड में भी संचालित किये जा सकेंगे। आवश्यकतानुसार सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Servies) के साक्षात्कार तथा मॉक साक्षात्कार हेतु शासन की अनुमति से यू0पी0 भवन, नई दिल्ली में रूकने की भी व्यवस्था की जाएगी।

4.5 सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों में अवसरों की सीमा–

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु चिन्हित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी भी छात्र हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए **अधिकतम दो,** विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु **अधिकतम तीन अवसर** अनुमन्य होंगे। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी तथापि संबंधित सिविल सेवा परीक्षा हेतु लागू आयु–सीमा की मर्यादा लागू रहेगी।

5. अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रकिया–

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित आधारभूत पाठ्क्रम हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शासनादेश सं0–1821/26–3–2016–10(11)/2016 दिनांक 13 जून 2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथापि सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा हेतु आयोजित आधारभूत पाठ्यक्रम में तय निर्धारित क्षमता के 25 प्रतिशत प्रवेश, ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने गत वर्ष अथवा वर्तमान वर्ष में सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा **(UPSC-CS(P), UPPCS(P))** उत्तीर्ण की हो, को सीधे प्रवेश **(lateral entry)** की सुविधा प्रथम आवत–प्रथम पावत के आधार पर अनुमन्य होगी। उक्त सुविधा सम्बन्धित संस्थानों में आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रवेश की अन्तिम तिथि तक अनुमन्य होगी।

उपरोक्तानुसार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश प्रकिया से एवं सीधे प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् रहेगी :–

कम सं0	कोचिंग केन्द्र	क्षमता (अधिकतम)	प्रवेश प्रकिया से चयनित अभ्यर्थी की संख्या	सीधे प्रवे (lateral entry)
01	छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ।	300 पुरूष	225 पुरूष	75 पुरूष
02	आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।	200 महिला	150 महिला	50 महिला
03	राजकीय आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, हापुड़,	200 (120 पुरूष एवं 80 महिला)	150 (90 पुरूष एवं 60 महिला)	50 (30 पुरूष एवं 20 महिला)
04	संत रविदास आई0ए0एस0 /पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, वाराणसी	100 पुरूष	75 पुरूष	25 पुरूष
05	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	200 पुरूष	150 पुरूष	50 पुरूष
06	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़	200 पुरूष	150 पुरूष	50 पुरूष
07	न्यायिक सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज	50 पुरूष	40 पुरूष	10 पुरूष

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अधिकतम तीन अवसर अनुमन्य होंगे। इसके साथ ही चयन प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी की आयु प्रवेश परीक्षा वर्ष में 01 जनवरी को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से सूचना देते हुये आमंत्रित किये जायेंगे। प्रवेश प्रकिया का कैलेन्डर सामान्यतः निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित समय
1	विज्ञापन का प्रकाशन एवं आवेदन पत्र प्रारम्भ होने का समय	अप्रैल माह का द्वितीय सप्ताह
2	आनलाइन आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि	मई माह का द्वितीय सप्ताह।
3	आनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार/संशोधन	मई माह का तृतीय सप्ताह
4	प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की तिथि	मई माह के अन्तिम सप्ताह।

कमांक	विवरण	प्रस्तावित समय
5	**प्रवेश परीक्षा की तिथि**	**जून माह के द्वितीय सप्ताह**
6	प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अनुमानित तिथि	जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह।
7	प्रथम काउंसलिंग	जुलाई माह का अन्तिम सप्ताह
8	द्वितीय काउसलिंग।	अगस्त माह का प्रथम सप्ताह
9	तृतीय काउंसलिंग	अगस्त माह का द्वितीय सप्ताह।

उपरोक्तानुसार पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में सामान्यतः अगस्त माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह पर्यंत प्रवेश प्रकिया पूर्ण करते हुये अध्यापन/प्रशिक्षण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा तथापि आकस्मिता के दृष्टिगत शासन द्वारा उपरोक्त कैलेण्डर में किसी भी समय फेर बदल करते हुये नया कैलेण्डर जारी किया जा सकता है।

5.1 कोचिंग सत्र का संचालन–

आधारभूत पाठ्यक्रम हेतु सत्र सामान्यतः 01 अगस्त (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में) से 31 दिसम्बर (05 माह) तक आयोजित किया जाएगा। विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु सत्र प्रस्तर 4.1 में दी गयी व्यवस्था अनुसार आयोजित किया जाएगा। चयन प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शेष प्रवेश प्रकिया अधिकतम 31 अगस्त तक पूर्ण कराने का दायित्व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी का रहेगा।

5.2 प्रवेश परीक्षा का स्तर–

प्रवेश परीक्षा का स्तर इस प्रकार रखा जायेगा ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।

सिविल सेवाओं की पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र यथासम्भव उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के सहयोग से/मार्गदर्शन में तैयार किया जायेगा। तथापि लोक सेवा आयोग द्वारा असमर्थता की दशा में उ0प्र0 परीक्षा नियामक आयोग/नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (N.T.A)/ख्याति प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा निजी ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों (उदाहरण Unacademy, Byju इत्यादि) की मदद से भी प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जा सकेगा।

6. अतिथि प्रवक्ता (Guest Faculty)–

समस्त पूर्व परीक्षा कोचिंग केन्द्रों में अध्यापन कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवायें अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जायेगी। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं को चयन समिति (Selection Committee) की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान (Trial Lecture) के उपरान्त पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में सूचीबद्ध (Empanel) किया जाएगा।

6.1 अतिथि प्रवक्ताओं हेतु चयन समिति (Selection Committee) –

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ के व्यतिरिक्त अन्य पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिथि प्रवक्ताओं के चयन के लिए समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी–

सम्बन्धित केन्द्र के केन्द्र प्रभारी	–	**अध्यक्ष**
संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ/प्रथम श्रेणी अधिकारी	–	**सदस्य**
जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	**सदस्य सचिव**

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित न किये जाने की दशा में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अपने स्तर से दो विषय विशेषज्ञ/प्रथम श्रेणी अधिकारी नामित करते हुये चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु चयन समिति का गठन निदेशक, भागीदारी अपने स्तर पर करेंगे एवं समिति में सदस्य सचिव के रूप में संस्थान में कार्यरत संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कार्य करेंगे।

6.2 अतिथि प्रवक्ताओं हेतु अर्हताऐं–

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु अतिथि प्रवक्ताओं (व्याख्याता) के चयन हेतु अर्हता एवं शर्ते वरीयता के क्रम में निम्नवत् होंगी :–

1. प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों से ऐसे अनुभवी व्याख्याता जिन्हें न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो तथा जिन्होंने सम्बन्धित विषय में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ऐसे व्याख्याता जिन्होंने नेट/जे0आर0एफ0 भी उत्तीर्ण किया हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी)
2. विश्वविद्यालय, शासकीय अथवा अनुदानित डिग्री कॉलेज में सक्षम आयोग द्वारा विधिवत् रूप से सहायक प्राध्यापक या अधिक स्तर पर सीधे चयन (कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त)
3. नेट/जे0आर0एफ0 उत्तीर्ण राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0 करने वाले अभ्यर्थी।

उपरोक्त अर्हता के व्याख्याताओं की अनुपलब्धता की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विगत 05 वर्षों में संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा/उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा न्यूनतम 02 बार उत्तीर्ण की हो को भी अतिथि प्रवक्ता के रूप में empanel किया जा सकेगा।

अतिथि प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में प्रायः यह अनुभव रहा है कि शासन द्वारा प्रदत्त मानदेय अत्यन्त नगण्य होने के कारण अच्छे अतिथि प्रवक्ता पूर्व परीक्षा कोचिंग केन्द्रों को अपने सेवा नहीं दे पाते है तथा उनकी अनुपस्थिति में निम्न स्तरीय अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसके कारण इन केन्द्रों का सफलता प्रतिशत अत्यन्त कम रहता है।

हाल के वर्षो में स्तरीय ऑनलाइन मार्गदर्शन/टेस्ट सीरीज इत्यादि का चलन बढ़ा है तथा सिविल सेवा में चयनित अनेक सफल अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अतः आवश्यक है कि केन्द्र प्रभारियों

द्वारा स्तरीय अतिथि प्रवक्ताओं को ही आबद्ध करने हेतु प्रयास किये जायें तथा उनके न मिलने की दशा में ऑनलाइन मार्गदर्शन/टेस्ट सीरीज इत्यादि का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाये, ताकि इन केन्द्रों/अभ्यर्थियों के सफलता प्रतिशत में गुणात्मक बढोतरी हो सके।

6.2.1 विशिष्ट अतिथि प्रवक्ता (Special Guest Faculty)–

अतिथि प्रवक्ताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शिक्षण/मार्गदर्शन/मनोबल प्रदान करने हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी समय–समय पर विषय विशेषज्ञों, शासकीय सेवारत अधिकारियों, प्रशिक्षु अथवा नव चयनित आई0ए0एस0/पी0सी0एस0/समकक्ष अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु सक्षम होंगे। उपरोक्त विशिष्ट अतिथि प्रवक्ताओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/1/1/2010–का–प्रसको–2014 दिनांक 03 सितम्बर, 2010 अनुसार मानदेय अनुमन्य होगा।

6.3 अतिथि प्रवक्ताओं को अनुमन्य मानदेय–

संस्थान में व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि प्रवक्ताओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/1/1/2010–का–प्रसको–2014 दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के अनुरूप तत्कालीन संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित रू0–1000/– प्रति व्याख्यान अथवा समय–समय पर संचालक मंडल अथवा शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा। व्याख्यान की अवधि 90 मिनट की होगी, जिसमें 45–45 मिनट के 02 सत्र (Period) होंगे।

6.4 अतिथि प्रवक्ताओं के empanellment हेतु शर्तें

a. चयनित अतिथि प्रवक्ताओं को केन्द्र प्रभारी द्वारा दिये गये विषय/टॉपिक पर परीक्षण व्याख्यान (Trial Lecture) देना होगा एवं दिये गये व्याख्यान पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान किये गये फीड बैक के आधार पर केन्द्र प्रभारी द्वारा अंतिम निर्णय लेते हुये अन्ततः empanel किया जायेगा। व्याख्यान के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में से 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा नकारात्मक फीड बैक देने की दशा में चयनित अतिथि प्रवक्ता को empanel नहीं किया जायेगा।

b. सामान्यतः किसी भी empanelled अतिथि प्रवक्ता को तीन सत्र से अधिक अध्यापन का अवसर नही दिया जायेगा, तथापि असाधारण परिणाम (Exceptional Result) देने वाले empanelled अतिथि प्रवक्ता को केन्द्र प्रभारी के निर्णय के आधार पर कोचिंग संचालन समिति को सूचना देते हुये अध्यापन हेतु आगे भी अवसर प्रदान किया जा सकता है।

c. Empanelled अतिथि प्रवक्ताओं में व्यवसायिक अभिवृत्ति (Professional Aptitude) के साथ–साथ सामाजिक उपयुक्तता (Social Aptitude) भी होना चाहिये। संस्थान में अध्यापन कार्य हेतु उच्च चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों (Strong Moral & Ethical Values) का होना अति आवश्यक है।

d. Empanelled अतिथि प्रवक्ताओं को संस्थान की **"अतिथि प्रवक्ता आदर्श आचार संहिता"** का पालन करना होगा, जो कि निदेशक, छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन द्वारा निर्गत की जायेगी।

e. विशिष्ट अतिथि प्रवक्ता के अतिरिक्त अन्य empanelled अतिथि प्रवक्ताओं की सूची उनके बायोडाटा के साथ कोचिंग केन्द्रों की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

6.5 अतिथि प्रवक्ता के लिए यात्रा भत्ता–

समस्त कोचिंग केन्द्रों में मुख्यालय से बाहर के अतिथि प्रवक्ताओं को शासन द्वारा पूर्व निर्धारित दर से यात्रा भत्ता नियमानुसार दिया जाना अनुमन्य होगा। ऐसे समस्त प्रकरणों से संबंधित सूचना केन्द्र प्रभारी कोचिंग संचालन समिति को त्रैमासिक रूप से अवश्य अवगत कराएंगे।

6.6 गुणवत्ता का मूल्यांकन–

केन्द्र प्रभारी द्वारा अतिथि प्रवक्ताओं के संबंध में गुणवत्ता का मूल्यांकन निदेशक, छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ द्वारा निर्मित प्रपत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान किए गए फीडबैक के आधार पर नियमित रूप से किया जायेगा एवं प्रत्येक सत्र के उपरान्त empanelled अतिथि प्रवक्ता के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उसे आगामी सत्र में अध्यापन का अवसर दिया जायेगा।

Empanelled अतिथि प्रवक्ताओं का सत्र में कम से कम तीन बार (सत्र की शुरूआत, मध्य एवं अंत में) फीड बैक लिया जायेगा। फीड बैक लेने हेतु संबंधित व्याख्याता एवं अध्यनरत अभ्यर्थियों को केन्द्र प्रभारी द्वारा अग्रिम रूप से सूचना दी जायेगी। किसी भी प्रकरण में अत्यन्त नकारात्मक फीड बैक मिलने अथवा empanelled अतिथि प्रवक्ता द्वारा आदर्श आचार संहिता के उलंघन की सूचना मिलने की दशा में अतिथि प्रवक्ता को केन्द्र प्रभारी द्वारा empanelled सूची से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही संचालक मण्डल द्वारा मान्य/शासनादेश संख्या–51/26–3–2020–1514/2016 दिनांक 20 जनवरी, 2020 अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदत्त फीड बैक के आधार पर संबंधित व्याख्याता को मानदेय की योग्य श्रेणीनुसार भुगतान किया जायेगा।

7. कोर्स–को–आर्डिनेटर–

समस्त कोचिंग केन्द्रों में कोचिंग सत्रों के सफल संचालन हेतु कार्य योजना तैयार कराकर व्याख्यान आयोजित कराने, अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था करने, कोचिंग सत्रों के दौरान अभ्यर्थियों के लिये टेस्ट एवं फीडबैक आयोजित कराने व कोचिग संबंधी अन्य कार्यो का सम्पादन योग्य एवं अनुभवी कोर्स–को–आर्डिनेटर के द्वारा किया जायेगा। कोर्स–को–आर्डिनेटर के चयन के संबंध में अर्हता, नियम व शर्ते निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

7.1 कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु अनिवार्य अर्हता –

कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु अनिवार्य अर्हता वरीयता के क्रमानुसार निम्नवत् होगी :–

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विगत 05 वर्षो में आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा कम से कम दो बार उत्तीर्ण की हो। **अथवा**

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विगत 05 वर्षो में आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा कम से कम दो बार उत्तीर्ण की हो। **अथवा**

(ग) उपर्युक्त अधिमानी अर्हता (क एवं ख) के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा से सम्बन्धित विषयों में विगत 05 वर्षों में जे0आर0एफ/नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा कम से कम एक बार उत्तीर्ण की हो।

7.2 कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु आयु सीमा–

कोर्स–को–आर्डिनेटर के पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष अनुमन्य होगी। आयु की गणना चयन के वर्ष में 01 जनवरी से की जायेगी।

7.3 कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु आवश्यक शर्ते

a. कोर्स–को–आर्डिनेटर के पदों पर भर्ती सम्बन्धित पद के लिये अभ्यर्थियों की उपयोगिता एवं उपयुक्तता के आधार पर साक्षात्कार से अथवा ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन करने की दशा में लिखित परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थियों को पद हेतु उपयुक्तता सिद्ध करने वाले अभिलेख आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

b. संविदा के आधार पर तैनाती का कार्यकाल केवल 11 माह के लिये होगा। कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु चयनित व्यक्ति को अधिकतम 11 माह के लिये अनुबंधित किया जायेगा तथा पारिश्रमिक के रूप में नियत मानदेय रू0 23000/– (तेइस हजार प्रति माह) प्रतिमाह की दर से अथवा समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

c. संविदा पर नियुक्त कार्मिक किसी प्रकार की पेंशन/स्थायीकरण के हकदार नही होंगे। नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। संविदा अवधि के लिये कोई बोनस आदि भी देय नही होगा।

d. वर्तमान में अलीगढ़, आगरा, वाराणसी की प्रत्येक कोचिंग केन्द्र में 02 कोर्स कोर्डिनेटर एवं हापुड़ कोचिंग केन्द्र में 01 कोर्स–को–आर्डिनेटर के पद सृजित हैं। उक्त पदों का समायोजन करते हुए प्रत्येक कोचिंग यथा–अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, आदर्श कोचिंग, लखनऊ में 01 कोर्स कोर्डिनेटर एवं हापुड़ में 02 कोर्स कोर्डिनेटर (01 महिला एवं 01 पुरूष) रखे जायेंगे। हापुड़ में छात्राओं हेतु संचालित कोचिंग सेन्टर में महिला अभ्यर्थी को ही कोर्स–को–आर्डिनेटर नियुक्त किया जायेगा।

7.4 कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु चयन समिति–

समस्त कोचिंग केन्द्रों हेतु कोर्स कोआर्डिनेटर के पद पर चयन समिति एवं अन्य सेवा शर्तें समाज कल्याण अनु0–3 के शासनादेश संख्या–3657/26–3–2019 दिनांक 22 अगस्त, 2019 के अनुसार होगी।

7.5 कोर्स कोर्डिनेटर की फीडबैक प्रणाली–

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भागीदारी भवन, लखनऊ द्वारा विकसित प्रणाली के तहत कोर्स–को–आर्डिनेटर हेतु फीडबैक एवं तत्सम्बंधी प्रणाली पर कार्यवाही की जायेगी।

8. मेंटरशिप कार्यक्रम–

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र भागीदारी भवन, आदर्श परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र, हापुड़,

एवं न्यायिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज कोर्स–को–आर्डिनेटर के प्रशिक्षण कार्यो में सहयोग हेतु सम्बन्धित संस्थान में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे उत्कृष्ट छात्रों जिन्होनें संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, की सेवायें प्रेरक (Mentor) के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। *एक संस्था में अधिकतम पांच मेंटर तक रखे जा सकते हैं।*

8.1 प्रेरक (Mentor) हेतु अर्हताएं–

मेंटर के चयन हेतु अर्हता का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा–

1– संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अथवा**

2– ऐसे छात्र अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अथवा**

3– ऐसे छात्र जिन्होंने विशिष्ट पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो तथा मेंटर के रूप में कार्य हेतु इच्छुक हों।

8.2 प्रेरक (Mentor) हेतु कार्य विवरण–

मेंटर के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के निम्नलिखित कार्य होंगे–

1– एक माह में कम से कम 6 सत्र व्याख्यान का कार्य करेंगे, जिसे आवश्यकतानुसार केन्द्र प्रभारी द्वारा बढ़ाया/घटाया जा सकता है।

2– सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार प्रशिक्षण हेतु कोर्स–को–आर्डिनेटर/केन्द्र प्रभारी की कार्य योजना तैयार करने में मद्द करना।

3– कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति जानने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करने में कोर्स–को–आर्डिनेटर/केन्द्र प्रभारी की मद्द करना।

4– प्रश्न पत्रों के परिणाम का विश्लेषण करते हुये विवरण अधिकारियों के माध्यम से केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत करना।

5– संस्थान में सम्बद्ध अतिथि प्रवक्ताओं का फीड बैक तैयार करने में कोर्स–को–आर्डिनेटर की सहायता करना।

6– कम से कम 10 छात्रों की व्यक्तिगत मेंटरिंग करते हुये उनके प्रदर्शन से सतत रूप से केन्द्र प्रभारी तथा कोर्स–को–आर्डिनेटर को अवगत कराना।

7– संस्थान/छात्रावास में सतत शैक्षिक वातावरण बनाये रखने का कार्य करना।

8– संस्थान में छात्रों के प्रदर्शन में और सुधार करने हेतु छात्रों का फीडबैक प्राप्त करते हुये, कार्य योजना बनाकर संस्थान को प्रस्तुत करना।

चयनित छात्र संबंधित संस्थान मे प्रेरक (Mentor) के रूप में प्रत्येक सत्र में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदत्त फीड बैक के आधार पर अधिकतम 02 वर्षों तक कार्य कर सकता है।

8.3 प्रेरक (Mentor) हेतु संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें–

1– मेंटर का कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिये संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निःशुल्क आवास, भोजन एवं पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

2— यदि मेंटर द्वारा शैक्षणिक अथवा तत्सम्बन्धी कार्य (उदा0 उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन)/व्याख्यान सत्र लिया जाता है, तो उस दशा में मेंटर को प्रति शैक्षणिक कार्य/व्याख्यान सत्र, अतिथि प्रवक्ता को अनुमन्य मानदेय का 50 प्रतिशत तक की दर से (अधिकतम रू0 500/—) पारिश्रमिक देय होगा।

3— मेंटरशिप से संबंधित प्रत्येक विषय के संबंध में केन्द्र प्रभारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथापि मेंटर चयन के सम्बन्ध में सभी संबंधित सूचना केन्द्र प्रभारी कोचिंग संचालन समिति को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. कोचिंग केन्द्र का वेबसाइट/पोर्टल—

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भागीदारी भवन, लखनऊ द्वारा निर्मित करायी जा रही वेबसाइट/पोर्टल में समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को लॉगिन उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अपनी शैक्षणिक समय सारणी, टेस्ट सीरीज, कक्षा के वीडियो/वीडियो लिंक, नवीन प्रयोग, अतिथि प्रवक्ताओं का विवरण, अध्ययन अभ्यर्थियों की फोटो सहित सूची (जिसको चयन की सूचना मिलने पर अपडेट किया जा सकेगा) आदि को अद्यतन किया जाएगा। इस वेबसाइट/पोर्टल पर पुराने अभ्यर्थियों की सूची को भी यथाशीघ्र अपलोड किया जायेगा। पत्राचार कोर्स एवं अन्य तरीकों से अभ्यर्थियों को जोड़ने हेतु भी वेबसाइट/पोर्टल का प्रयोग किया जा सकेगा।

विभागीय छात्रावास के संवासियों एवं आश्रम पद्यति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं कक्षा 11 एवं 12 छात्रों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों से अवगत कराने हेतु सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं केन्द्र प्रभारी उक्त विद्यालयों एवं छात्रावासों में अभिमुखी कार्यशाला (Orientation Work Shop) आयोजित करेंगे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0—1015 (1)/26—3—2020—तददिनांक—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
5. निजी सचिव, समाज कल्याण/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

7. निदेशक, छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।
9. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक,न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद, सन्तरविदास आई0ए0एस0/पी0सी0एस0पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी, डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़, डॉ0बी0आर0 अम्बेडकर, आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा, आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र निजामपुर, हापुड एवं आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगंज लखनऊ द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरज कुमार)
विशेष सचिव।